

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर

Email ID dcf.gan.forest@rajasthan.gov.in & dcf.raj.sgnr@gmail.com Phone & Fax No. 0154-2472339

क्रमांक:-एफ ()सर्वे/उवसं/2022-23/5981

दिनांक :-16/08/24

निमित्त,

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर

विषय :- Diversion of 1.3407 ha fo forest land for CONSTRUCTION OF 220 KV S/C SURATGARH- PADAMPUR TRANSMISSION LINE, in Favour of Rajasthan Rajya Vidut Prasaran Nigam Ltd Hanumangarh, District - Sri Ganganagar , Rajasthan.

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर पत्रांक 8B2/RAJ000/2023-JPR दिनांक 27.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि लगाये गये आक्षेपों की पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

क्र.स.	लगाया गया आक्षेप	आक्षेप की पालना
1	प्रकरण में वन अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है परन्तु 10 वर्षों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में उल्लंघन के फलस्वरूप आपके खिलाफ कार्यवाही न की जाने के कारणों को स्पष्ट करने का कष्ट करें।	Executive Engineer (T&C), RVPN, Hanumangarh द्वारा अवगत करवाया गया है की 220 के वी सूरतगढ़ - पदमपुर ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण कार्य जनहित में क्षेत्र पदमपुर तथा गंगानगर में विधुत व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के लिए तकनीकी रूप से अति आवश्यक होने के कारण उस समय पद स्थापित अधिकारी श्रीमान एल. एल. चड्ढा अधि. अभियंता (टी एंड सी) द्वारा करवाया गया था। श्री मान एल. एल. चड्ढा निगम से 2013 में सेवानिवृत्त हो गए थे अतः उन पर कोई कार्यवाही की जानी संभव नहीं है।

संलग्न :- उक्तानुसार

भवदीय

RajKaj Ref
9839275




Signature valid

Digitally signed by: Dilip Singh Rathore
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.08.16 16:35:47 IST
Reason: Approved

उपरोक्त विषय एव सन्दर्भ के अंतर्गत आप द्वारा चाही गई जानकारी निम्न अनुसार है ।

श्री मान जी उपरोक्त 220 के वी सूरतगढ़ - पदमपुर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य जनहित में क्षेत्र पदमपुर तथा गंगानगर में विधुत व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के लिए तकनीकी रूप से अति आवश्यक होने के कारण उस समय पद स्थापित अधिकारी श्रीमान एल. एल. चड्ढा अधिक्षण अभियंता (टी एंड सी) द्वारा करवाया गया था । श्री मान एल. एल. चड्ढा निगम से 2013 में सेवानिवृत्त हो गए थे ।

चूंकि यह प्रकरण काफी समय पुराना है इस बाबत निगम के परिपत्र RVPN/AS/GAD/F&R/F. 21/d. 15 DATE 08.01.2008 (प्रतिलिपि सलग्न) के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति को 4 वर्ष से अधिक होने के कारण राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत उन पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । इस कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार रिपोर्ट श्री मान जी कि सेवा में प्रस्तुत है, तदनुसार इस प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृत जारी करवाने का कष्ट करें ताकि इस लंबित प्रकरण का निस्तारण हो सके ।


22.07.2024
Executive Engineer (T&C)
RVPN, Hanumangarh